

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(श्री सन्तोष कुमार मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :-
दिनांक

111/2016
13.09.2019

उनवान

श्री कवरीलाल जाति मीना निवासी नवाबपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक

- वादी

बनाम

श्री कवरीलाल जाति मीना निवासी नवाबपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
श्री कवरीलाल जाति मीना निवासी नवाबपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
श्री कवरीलाल जाति मीना निवासी नवाबपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
श्री कवरीलाल जाति मीना निवासी नवाबपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
श्री कवरीलाल जाति मीना निवासी नवाबपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा, स्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित:- श्री बी०एल०जैन वकील वादी

निर्णय

प्रकरण मे तहसीलदार उनियारा ने पत्र क्रमांक 2746 भू०अ० दिनांक 13/09/19 द्वारा कूरजात रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। वादी वकील को तहसीलदार उनियारा द्वारा प्रेषित कूरजात रिपोर्ट का अवलोकन कराया गया। वादी वकील तहसीलदार उनियारा द्वारा प्रेषित कूरजात रिपोर्ट से सहमत है। अतः वादग्रस्त आराजी ख०न० 370 रकबा 1.71 हे० वाके ग्राम नवाबपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है।

श्री कवरीलाल जाति मीना निवासी नवाबपुरा तहसील उनियारा खातेदार

ख०न०	रकबा (हेक्टर मे)	किस्म	लगान
370/1	0-34	नहरी दितीय	5-10

श्री कवरीलाल, रामपति कंचन पुत्रियां कवरीलाल, धोली पत्नी कवरीलालजाति मीना निवासी नवाबपुरा तहसील उनियारा खातेदार

ख०न०	रकबा (हेक्टर मे)	किस्म	लगान
370/2	1-30	नहरी दितीय	19-50


उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक

कैलाश पुत्र कवरीलाल, रामपति कंचन पुत्रियां कंवरीलाल, धोली पत्नी कंवरीलाल जाति मीना
धोली नवाबपुरा तहसील उनियारा खातेदार

खत नं	ख0न0	रकबा (हेक्टर में)	किस्म	लगान
	370/3	0-07	नहरी दितीय	1-05

तहसीलदार उनियारा को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करने के आदेश दिये जाते हैं।
अपनी जमीनी खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 13.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में
रजिस्ट्रार के पास रखा गया।

श्री सन्तोष कुमार मीना

आर0ए0एस0

उपखण्ड अधिकारी उनियारा
उनियारा, जिला नौक